भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2998
6 अगस्त, 2026 को उत्तर देने के लिए

फसल कटाई-उपरांत नुकसान का आकलन

†2998. श्री जय प्रकाश:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में खाद्यान्नों, दालों, फलों और सब्जियों के फसल कटाई-उपरांत नुकसान के संबंध में कोई आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) ऐसे नुकसान के अनुमानों और किसानों की आय पर उनके आर्थिक प्रभाव का वस्तु-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) केंद्रीय और राज्य योजनाओं के कन्वर्जेंस के माध्यम से वैज्ञानिक भंडारण, शीतागार-श्रृंखला अवसंरचना, ग्रेडिंग, पैकेजिंग और मूल्य-वर्धन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) एवं (ख): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्राथमिक सर्वेक्षणों पर आधारित अध्ययन करवाकर देश के विभिन्न जलवायु क्षेत्रों में विभिन्न कृषि उत्पादों के लिए समय-समय पर फसलोत्तर नुकसान का अनुमान लगाता है। मंत्रालय द्वारा दो अध्ययन कराए गए : (i) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) - केंद्रीय कटाई-पश्चात अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संस्थान (सीआईपीएतईटी), 2015, संदर्भ वर्ष 2012-14, और (ii) नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड (नैब्कॉन्स), 2022, संदर्भ वर्ष 2020-22। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में अनाज, दालों, फलों और सब्जियों के फसलोत्तर नुकसान के अनुमानित प्रतिशत का विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया है।

नैब्कॉन्स द्वारा किए गए अध्ययन में, प्रमुख उत्पादक राज्यों को कवर करने वाले फील्ड सर्वेक्षणों के आधार पर, चयनित कृषि वस्तुओं के लिए फसलोत्तर नुकसान का वस्तु-वार और राज्य-वार अनुमान दिया गया है। हालाँकि, इस अध्ययन में किसानों की आय का मूल्यांकन शामिल नहीं है। उक्त अध्ययन में अनुमानित वस्तु-वार और राज्य-वार फसलोत्तर नुकसान का विवरण **अनुबंध-II** में दिया गया है।

(ग): खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास के लिए, एमओएफपीआई तीन योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से प्रसंस्करण/परिरक्षण क्षमताओं के निर्माण और विस्तार की सहायता करता है। इन योजनाओं में खेत से लेकर खुदरा दुकानों तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक अवसंरचना का निर्माण, फसलोत्तर नुकसान को कम करना और मूल्यवर्धन करना, किसानों को बेहतर मूल्य प्रदान करना, रोज़गार के अवसर सृजित करना, प्रसंस्करण स्तर को बढ़ाना और प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के

निर्यात को बढ़ावा देना शामिल है। एमओएफपीआई द्वारा कार्यान्वित की जा रही इन तीन योजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय देश भर में वर्ष 2017-18 से प्रधानमंत्री किसान संपदा (पीएमकेएसवाई) योजना लागू कर रहा है। पीएमकेएसवाई के अंतर्गत घटक योजनाएं हैं (i) एकीकृत शीत श्रृंखला और मूल्य वर्धन अवसंरचना (ii) खाद्य प्रसंस्करण और परिरक्षण क्षमता सृजन / विस्तार (सीईएफ़पीपीसी योजना) (iii) ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी योजना), (iv) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना सृजन (एपीसी योजना) , (v) मेगा फूड पार्क (एमएफपी योजना-दिनांक 01.04.2021 से बंद) और (vi) बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेजों का सृजन (सीबीएफएल योजना- दिनांक 01.04.2021 से बंद)। इन घटक योजनाओं के अंतर्गत एमओएफपीआई खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं की स्थापना के लिए सहायता अनुदान/सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है, जिससे शीत श्रृंख्ला अवसंरचना सहित प्रसंस्करण और परिरक्षण अवसंरचना सुविधाएं निर्मित होती हैं।

मंत्रालय " प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई)" के अंतर्गत देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की स्थापना/उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान करता है।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) का उद्देश्य, अन्य बातों के अलावा, वैश्विक खाद्य विनिर्माण चैंपियन बनाने की सहायता करना और अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में खाद्य उत्पादों के भारतीय ब्रांडों की सहायता करना है। यह योजना वर्ष 2021-22 से 2026-27 तक छह साल की अवधि में 10,900 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ कार्यान्वित की जा रही है।

अनुबंध-I

लोक सभा में दिनांक 06 अगस्त, 2026 को उत्तर हेतु "फसल कटाई-उपरांत नुकसान का आकलन", के संबंध में अतारांकित प्रश्न संख्या 2998 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित।

अनुबंध।

विभिन्न कृषि-जलवायु क्षेत्रों में अनाज, दालों, फलों और सब्जियों के कटाई-उपरांत नुकसान का विवरण

श्रेणी	फसल	फसलोत्तर नुकसान (%)														
		एसीजेड 1	एसीजेड 2	एसीजेड 3	एसीजेड 4	एसीजेड 5	एसीजेड 6	एसीजेड 7	एसीजेड 8	एसीजेड 9	एसीजेड 10	एसीजेड 11	एसीजेड 12	एसीजेड 13	एसीजेड 14	एसीजेड 15
अनाज	बाजरा				4.20	4.08	3.76	4.44	4.64	4.21	5.04			4.78	4.40	
	धान	2.60		4.76	4.52	4.46	4.97	4.81	3.54	4.48	4.66	3.67	2.51	3.99	4.60	
	धान	2.91	6.10	5.19	4.67	4.09	3.25	4.05	4.28	3.45	5.47	5.98	5.61	4.63		
	ज्वार							5.85	6.05	6.29	5.84	6.04			5.82	
	गेहूँ	2.10		5.63	5.01	4.06	4.15	4.89	5.22	4.17				4.23	5.77	
दालें	काला चना					5.23		5.68	6.83	7.60	5.60	6.03		4.87		
	चना						5.72	5.47	5.81	5.30	5.30				6.70	
	मूंग			6.24	6.07		5.75	6.20		5.96	6.13			5.95		
	अरहर							6.63	7.07	6.90	4.59			4.20		
फल	सेब	9.91														
	केला									6.06	9.33	8.81	5.84	6.44		
	साइट्रस						5.40	7.40		8.79	7.93					
	अंगूर									6.73	8.02					
	अमरूद			17.08	15.30	14.76		14.59		14.14						
	आम				9.95	9.19					7.84		8.58			
	खरबूजा				6.64	7.35	5.50			5.76	7.42					
	पपीता							6.73			6.58			5.81		
	अनानास		7.41	4.47	5.92								3.75			
	अनार									6.02	8.58					
	चीकू									9.10	10.97	11.48	8.01	7.47		
सब्ज़ियाँ	हरी मटर	6.35				6.36	6.67	6.36	5.82	6.27						
	फलियाँ			5.48							8.02	7.10		6.65		
	लौकी				7.35	6.43		7.14								
	बैंगन			7.89	7.52			7.32						6.95		
	पत्ता गोभी		7.31	8.63	8.55			7.98				7.44		8.26		
	शिमला मिर्च	5.74					4.31			4.33	5.74					

	फूल गोभी			7.64	8.10			7.33		7.92		8.58		8.58		
	मशरूम	6.01	4.48			2.74	6.35	8.42		9.36	13.04					
	भिंडी			6.05	6.27			5.84				6.25		5.79		
	प्याज							8.11		6.78	8.70			7.57		
	आलू			5.77	5.62	5.96	6.13			7.02				5.98		
	मूली		5.14	6.45	5.11		7.51	6.66								
	टैपिओका		6.43						4.96				4.80			
	टमाटर							12.36			10.87	12.94		10.88		

एसीजेड - कृषि जलवायु क्षेत्र

अनुबंध- II

लोक सभा में दिनांक 06 अगस्त, 2026 को "फसल कटाई-उपरांत नुकसान का आकलन", के संबंध में उत्तर हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 2998 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

तालिका 1: प्रमुख फसलों और वस्तुओं का फसलोत्तर नुकसान

फसलें/वस्तुएं	नुकसान (%)
	नैब्कॉन्स अध्ययन (वर्ष 2022) के अनुसार*
अनाज	3.89-5.92
दालें	5.65-6.74
तिलहन	2.87-7.51
फल	6.02-15.05
सब्ज़ियाँ	4.87-11.61
बागान फसलें और मसाले	1.29-7.33
दूध	0.87
मत्स्य पालन (अंतर्देशीय)	4.86
मत्स्य पालन (समुद्री)	8.76
मांस	2.34
पोल्ट्री	5.63
अंडा	6.03

स्रोत: * नैब्कॉन्स अध्ययन (वर्ष 2022)

तालिका 2: राज्य-वार फसलोत्तर नुकसान

आंध्र प्रदेश	
उत्पाद	कुल हानि (%)
बाजरा	5.07
केला	9.33
काला चना	5.56
काजू	4.82
चना	5.71
मिर्च	7.06
साइट्रस	7.97
नारियल	4.32
कपास	3.03
अंडा	5.47
मूंग	6.17
मूंगफली	6.58
अंतर्देशीय मछली	4.68
धान	5.98
आम	7.9
समुद्री मछली	8.5
दूध	0.58
खरबूजा	7.42
धान	5.73
पपीता	6.58
अनार	8.69
पोल्ट्री मीट	7.39
ज्वार	5.67
टैपिओका	लागू नहीं

असम	
उत्पाद	कुल हानि (%)
पत्ता गोभी	7.38
अंडा	6.05
मांस	3.44
मशरूम	4.48
धान	6.07
अनानास	7.11
पोल्ट्री मीट	6.61
मूली	5.14

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	
उत्पाद	कुल हानि (%)
सुपारी	6.44
नारियल	4.25

बिहार	
उत्पाद	कुल हानि (%)
लौकी	7.35
बैंगन	7.52
पत्ता गोभी	8.7
फूलगोभी	6.76
मूंग	6.06
अमरूद	15.36
अंतर्देशीय मछली	5.99
धान	5.83

छत्तीसगढ़	
उत्पाद	कुल हानि (%)
लौकी	6.77
अमरूद	13.79
धान	3.92
मूली	6.66

गुजरात	
उत्पाद	कुल योग
मूंग	5.85
बाजरा	4.41
टमाटर	10.97
कपास	2.93
मूंगफली	5.31
भिंडी	5.79
चीकू	7.47
पत्ता गोभी	8.39
फूलगोभी	7.99
दूध	0.5
प्याज	7.57
सरसों	4.38
आलू	5.18
गेहूँ	5.18
धान	5.18
फलियाँ	6.65
बैंगन	6.99

टमाटर	12.36
हल्दी	4.97

आम	10.1
भिंडी	6.27
धान	4.65
अनानास	5.89
आलू	6.11
मूली	5.11
गन्ना	8.99
सूरजमुखी	5.18

केला	7.59
काला चना	4.8
पपीता	5.81
धान	4.54
अरहर	4.27

हरियाणा	
उत्पाद	**कुल हानि (%)**
बाजरा	3.77
चना	5.66
कपास	2.55
अंडा	6.74
मांस	2.88
दूध	0.74
मशरूम	5.91
सरसों	4.52
पोल्ट्री मीट	4.63
मूली	7.51
गन्ना	6.34
सूरजमुखी	4.44
गेहूँ	4.37

झारखंड	
उत्पाद	**कुल हानि (%)**
पपीता	6.73

जम्मू और कश्मीर	
उत्पाद	कुल हानि (%)
सेब	9.51
अंडा	6.08
धान	3.92

केरल	
उत्पाद	कुल हानि (%)
सुपारी	4.01
काली मिर्च	1.26
काजू	3.07
नारियल	3.61
अंडा	5.53
समुद्री मछली	8.75
मांस	2.2
पोल्ट्री मीट	5.32
टैपिओका	4.8

कर्नाटक	
उत्पाद	**कुल हानि (%)**
सुपारी	4.15
बाजरा	5.03
फलियाँ	7.33
काली मिर्च	1.31
शिमला मिर्च	5.75
काजू	3.17
नारियल	3.78
अंडा	5.64
अंगूर	8.02
अंतर्देशीय मछली	4.82
धान	4.41
समुद्री मछली	8.97
प्याज	8.7
अरहर	4.57
अनानास	3.73
अनार	8.19
कुसुम	3.1
ज्वार	5.69
सोयाबीन	6.63
गन्ना	4.84
सूरजमुखी	4.22
टमाटर	9.97
हल्दी	4.63

हिमाचल प्रदेश	
उत्पाद	कुल हानि (%)
सेब	9.2
शिमला मिर्च	5.74
हरी मटर	6.35
मशरूम	6.01
गेहूँ	3.32
धान	2.27

मध्य प्रदेश	
उत्पाद	कुल हानि (%)
बाजरा	4.53
काला चना	6.73
लौकी	7.46
शिमला मिर्च	4.33
फूलगोभी	6.46
चना	5.85
मिर्च	6.29
साइट्रस	7.4
धनिया	6.01
अंडा	6.33
हरी मटर	6.27
मूंगफली	6.11
अमरूद	14.93

महाराष्ट्र	
उत्पाद	कुल हानि (%)
बाजरा	4.21
केला	6.06
काला चना	7.48
चना	5.4
साइट्रस	8.79
कपास	2.98
अंडे	5.55
अंगूर	6.73
मूंग	5.9
मूंगफली	6.16
धान	5.3
आम	8.61
समुद्री मछली	8.8

मेघालय	
उत्पाद	कुल हानि (%)
टैपिओका	4.99
हल्दी	5.64
काजू	4.53

नागालैंड	
उत्पाद	कुल हानि (%)
टैपिओका	5.42

ओडिशा	
उत्पाद	कुल हानि (%)
लौकी	7.57
बैंगन	7.3
पत्ता गोभी	8.08

धान	6.3
दूध	0.53
खरबूजा	5.76
सरसों	4.86
भिंडी	5.84
प्याज	8.11
धान	4.2
अरहर	6.43
आलू	7
ज्वार	6.76
सोयाबीन	7.36
टमाटर	11.85
गेहूँ	4.94

मांस	2.78
दूध	0.65
मशरूम	9.24
प्याज	6.78
धान	4.44
अरहर	6.9
अनार	6.02
पोल्ट्री मीट	4.78
कुसुम	3.02
ज्वार	6.16
सोयाबीन	8.84
गन्ना	8.61
सूरजमुखी	4.93

फूलगोभी	7.65
चना	6.09
अंडा	6.63
मूंग	6.11
अंतर्देशीय मछली	5.68
समुद्री मछली	9.89
मशरूम	13.64
भिंडी	6.25
धान	4.17
टमाटर	13.19

पंजाब

उत्पाद	कुल हानि (%)
शिमला मिर्च	4.31
साइट्रस	5.4
हरी मटर	6.67
धान	6.91
दूध	0.63
मशरूम	6.7
खरबूजा	5.48
धान	3.15
आलू	5.57
गन्ना	4.38
गेहूँ	4.55

राजस्थान

उत्पाद	कुल हानि (%)
बाजरा	5.03
काला चना	5.74
चना	5.83
धनिया	5.7
कपास	2.53
मूंग	6.21
मूंगफली	5.03
धान	5.81
दूध	1.35
सरसों	4.75
ज्वार	6.01
सोयाबीन	6.54
गेहूँ	6.25

तमिलनाडु

उत्पाद	कुल हानि (%)
केला	7.47
फलियाँ	7.82
काला चना	5.93
अंडा	6.6
मूंगफली	5.31
धान	4.39
समुद्री मछली	9.14
मांस	3.04
मशरूम	11.03
धान	5.98
पोल्ट्री मीट	6.08
ज्वार	6.29
गन्ना	8.65

तेलंगाना

उत्पाद	कुल हानि (%)
मिर्च	6.06
साइट्रस	7.73
कपास	3.04
अंडा	5.36
मूंग	6.24
मूंगफली	6.67
धान	6.51
मांस	1.61
अरहर	5.01
पोल्ट्री मीट	8.12

उत्तराखंड

उत्पाद	कुल हानि (%)
सेब	11.5
दूध	1.16
धान	2.87
गन्ना	5.46
गेहूँ	2.51

उत्तर प्रदेश

उत्पाद	कुल हानि (%)
बाजरा	4.11
काला चना	6.11
लौकी	6.43
अंडा	6.06
हरी मटर	6.34
अंतर्देशीय मछली	4.99
धान	5.77
मांस	2.8
दूध	1.12
मशरूम	2.74
खरबूजा	7.25
सरसों	5.97
धान	4
आलू	5.82
पोल्ट्री मीट	7.24
गन्ना	6.91
गेहूँ	6.36

पश्चिम बंगाल

उत्पाद	कुल हानि (%)
फलियाँ	5.48
बैंगन	7.85
पत्ता गोभी	8.71
फूलगोभी	7.26
अंडे	7.07
मूंग	6.24
मूंगफली	7.24
अमरूद	15.86
अंतर्देशीय मछली	3.79
धान	5.42
समुद्री मछली	8.94
मांस	2.41
दूध	1.09
सरसों	6.21
भिंडी	6.05
धान	5.14
अनानास	5.66
आलू	5.71
पोल्ट्री मीट	5.41
मूली	6.45
सूरजमुखी	5.21
गेहूँ	6.13
